Acm आमेर ज.प. 2

फर्द अहकाम

देवीसहाय बनाम सरकार

...ाम न्यायालय

...स संख्या 113/18 S.D.O.

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23-9-25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। उभयपक्ष का.ता. पेशी पर बहस करें। वास्ते बहस दिनांक 7-10-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	07-10-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्य, गवाहों के मद्देनजर तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। तनकी 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 113/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –03.10.2018

1. महादेव (फौत)

1/1 देवी सहाय पुत्र महादेव आयु लगभग 50 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर

1/2 सुवालाल पुत्र महादेव आयु लगभग 43 **वर्ष** जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल **तहसील आमेर जिला जयपुर**

1/3 कैलाश चन्द पुत्र महादेव आयु लगभग 38 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. श्योनाथ (फौत)

2/1 मुकन्दीलाल पुत्र श्री श्योनाथ आयु लगभग 55 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर

2/2 रामप्रताप पुत्र श्री श्योनाथ आयु लगभग **48 वर्ष** जाति **अहीर निवासी** विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. नरसीराम पुत्र गंगाराम जाति अहीर निवासी विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

......वादीगण

बनाम

1. **राजस्थान** सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सार्वजनीक निर्माण विभाग पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये कनिष्ठ अभियंता
3. सार्वजनीक निर्माण विभाग पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला **जयपुर जरिये** सहायक अभियंता

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री के.आर. शर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
(2) श्री हीरालाल सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 की ओर से

दिनांक 07.10.2025

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम विजयपुरा पटवार क्षेत्र रायथल, भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 33 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.50 हैक्टेयर, **खसरा**

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नम्बर 57 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.62 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 24 कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज व अमल है। यह कि वाकै ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का रायथल भू.नि. क्षैत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 1.11 हैक्टेयर बारानी द्वितीय (साबिक खसरा नम्बर 102 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा) एवं हाल खसरा नम्बर 261 कबा 0.56 हैक्टेयर चाही प्रथम, (साबिक खसरा नम्बर 101) का साबिक राजस्व नक्शा संवत 2015 2034 में दुरूस्त था लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 141 1.11 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 261 रकबा 0.56 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे को छोटा कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 174 रकबा 0.18 गै.मु.रास्ते की भूमि को गलत रूप से वादीगण की खातेदारी भूमि में अंकित कर दिया गया जिसके सम्बन्ध मे वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत इन्द्राज दुरुस्ती प्रस्तुत कर दिया है। जो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन है। वाकै ग्राम ग्राम विजयपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 174 रकबा 0.18 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै. गुरास्ते के रूप में दर्ज व अंकित है लेकिन उक्त गै.. रास्ते को वादीगण के हाल खसरा नम्बर 261 रकबा 0.56 हैक्टेयर (साबिक नम्बर 211 101) में गलत रूप अंकित कर दिया एवं खसरा नम्बर 173 एवं 176 के नक्शे को बढ़ा दिया गया जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा वादबाबत इन्द्राज दुरूस्ती माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है एवं वाके ग्राम विजयपुरा तहसील आगेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा या नम्बर 141 रकबा 111 हैक्टेयर (साबिक नम्बर 102) एवं खसरा नम्बर 261 रकबा 0.56 हैक्टेयर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें कोई रास्ता कटा हुआ नही है वादीगण ने अपने खेतो में आने जाने वास्ते पगडंडी छोड़ी हुई है अप्रार्थीगण जबरिया रूप से वादी के खसरा नम्बर [illegible] खसरा नम्बर 261 एवं खसरा नम्बर 174 जो (वादी के खसरा नम्बर 261 गलत रूप [illegible] है) पर रोड निकालने पर आमादा है जबकी प्रतिवादीगण को वादी की कृषि भूमि [illegible] इक्वायार किये / मुआवजा अदा किये रोड निकालने का कोई अधिकार [illegible] है। वाद कारण 06.09.2018 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या–2 लगायत 3 ने वादपत्र की मद संख्या–2 में वर्णित अराजियात पर जबरिया रूप से वादिगण की बिना भूमि अवाप्त किये / बिना मुआवजा अदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

किये रोड निकालने पर आमादा हो गये वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 3 ने ऐलानिया धमकी दी की रोड निकालकर रहेगे एवं वादीगण को राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने के फर्जी मुकदमे में गिरफतार करवा देगे। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। को अधिकार है कि वाकै ग्राम विजयपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 141, 261 एवं खसरा नम्बर 174 के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद (माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर) की इन्द्राज दुरूस्ती नही हो जाती प्रतिवादी संख्या – 2 लगायत 3 को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद पत्र के मद संख्या– 2 में वर्णित अराजियात पर सडक निर्माण नही करे एवं ना तो मिटटी उठावे, वादीगण के कब्जे ना ही कच्ची – पक्की सडक का निर्माण करे, ना काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करावे एवम प्रतिवादी संख्या–1 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जो राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। वादपत्र की मद संख्या–4 में वर्णनानुसार वाद कारण दिनांक 06.09.2018 को उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र का मद संख्या 1 में वादीगण का यह वर्णित करना कि "वाके ग्राम विजयपुरा, पटवार क्षेत्र रायथल, भू.अ.नि. क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर मे स्थित खसरा नंबर 33, 36, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 98, 99, 100, 101, 104, 141, 151, 153, 154, 259, 260, 261, 262, 263, कुल किता 24 का कुल रकबा 13.33 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज होने" का कथन वादीगण सक्षम साक्ष्य से साबित करे। यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 33, 36, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 98, 99, 100, 101, 104, 141, 151, 153, 154, 259, 260, 261, 262, 263, कुल किता 24 का कुल रकबा 13.35 हैक्टेयर ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू.अ.नि. क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार कैलाश, देवीसहाय, सुवालाल पुत्रान महादेव, [illegible] बैंक ऑफ बडौदा, शाखा चौमूं, नरसी, मुकुंदीलाल, रामप्रताप, सुंदरलाल पुत्रान [illegible] जाति अहीर, के नाम दर्ज है जिन खातेदारो का हिस्सा दी सेन्ट्रल [illegible] बैंक, शाखा जालसू, एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रायथल, के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वाद पत्र का मद सं. 2 जिस प्रकार अंकित किया गया है गलत है अस्वीकार है। हाल खसरा नंबर 174 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता राज. सरकार के नाम दर्ज है, जिस भूमि मे से विजयपुरा स्कूल से रावली की ढाणी ग्राम पंचायत रायथल द्वारा ग्रेवल सडक कार्य किया हुआ है, उक्त रास्ता मौके पर चालू है जो आमजन के आने जाने के काम में आ रहा है जिस संबंध में उक्त सार्वजनिक

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते को उपखंड अधिकारी आमेर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाये जाने का कथन किया जाना रिकॉर्ड का विषय है। वाद पत्र का मद सं. 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल खसरा नंबर 174 रकबा 0.1800 हैक्टेयर ग्राम विजयपुरा, गै.मु. रास्ता दर्ज है जिसमे से होकर विजयपुरा स्कूल से रावली की ढाणी, ग्रेवल सडक कार्य ग्राम पंचायत रायथल द्वारा दावा दायरी से पूर्व से ही किया हुआ है, जो खसरा नंबर वर्तमान में सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ आमजन के काम में आ रहा है तथा मौके पर चालू है। इस प्रकार नक्शे को नही बढाया गया है. वादीगण द्वारा वाद बाबत इंद्राज दुरुस्ती प्रस्तुत किया जाना भी रिकॉर्ड का विषय है, मौके पर पूर्व से ही विजयपुरा स्कूल से रावली की ढाणी जाने वाले रास्ते पर ग्रेवल सडक कार्य ग्राम पंचायत रायथल द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही किया हुआ है। इस प्रकार पूर्व से विद्यमान ग्रेवल चालू रास्ते पर ही पुनः ग्रेवल रोड का कार्य किया जा रहा था जो उक्त विवाद उत्पन्न होने के कारण उक्त विवादित हद तक मोके पर ग्रेवल रोड का कार्य नही किया गया लेकिन मौके पर रास्ता आज भी चालू है। दावा दायरी से पूर्व से ही ग्राम पंचायत रायथल द्वारा ग्रेवल सडक कार्य विजयपुरा स्कूल से रावली की ढाणी तक किया हुआ है जिस पर मन प्रतिवादी द्वारा ग्रेवल रोड का कार्य किये जाने पर उक्त विवादित दूरी को छोडकर शेष भाग पर ग्रेवल रोड का कार्य किया गया है, दिनांक 06/09/2018 को वादीगण को मन प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, दिनांक 06/09/2018 से पूर्व ही मौके पर विजयपुरा स्कूल से रावली की ढाणी तक ग्रेवल रोड ग्राम पंचायत रायथल द्वारा डाली हुई है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते के काम में आ रही है, ऐसे में वाद पत्र गलत तथ्य वर्णित करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा पेश होने पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाके ग्राम विजयपुरा के हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 1.11 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 261 रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 174 में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे?

....वादीगण

2. आया दिनांक 06.09.2018 को वाद कारण उत्पन्न हुआ?

.....वादीगण

3. आया दिनांक 06.09.2018 से पूर्व ही मौके पर विजयंपुरा स्कूल से रावली की ढाणी तक ग्रेवल रोड ग्राम पंचायत रायथल द्वारा डाली हुई है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते के काम में आ रही है, अतः वाद खारिज होने योग्य है?

.....प्रतिवादी 2 व 3

4. अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त वादीगण को दिनांक 08.07.2025 से साक्ष्य पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये मौजुद पेश नहीं किये गये अतः दिनांक 26.08.2025 को साक्ष्य वादी का अवसर बंद किया

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

गया। वादीगण के साक्ष्य बंद होने पर प्रतिवादीगण ने भी साक्ष्य पेश नहीं किये अतः दिनांक 23.09.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताण की बहस सुनी गई तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 लगायत 3 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादीगण ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादीगण की साक्ष्य दिनांक 26.08.2025 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त वाद में वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 26.08.2025 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। प्रतिवादियों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का फैसला किया क्योंकि वादी कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि वादी इस मुद्दे को साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि वह कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है और इसलिए, इस मुद्दे को साबित करने का दायित्व जो वादी पर था, वह निर्वहन करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 साक्ष्य के अभाव में वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से तनकी संख्या 3 ता 6 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार [illegible]सल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:00:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 113/2018
वउनवानी – देवीसहाय बनाम राजस्थान सरकार वगैरा
निर्णय दिनांक :– 07.10.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

1. महादेव (फौत)

1/1 देवी सहाय पुत्र महादेव आयु लगभग 50 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर

1/2 सुवालाल पुत्र महादेव आयु लगभग 43 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर

1/3 कैलाश चन्द पुत्र महादेव आयु लगभग 38 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. श्योनाथ (फौत)

2/1 मुकन्दीलाल पुत्र श्री श्योनाथ आयु लगभग 55 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर

2/2 रामप्रताप पुत्र श्री श्योनाथ आयु लगभग 48 वर्ष जाति अहीर निवासी विजयपुरा पटवार हल्का रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. नरसीराम पुत्र गंगाराम जाति अहीर निवासी विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

......वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सार्वजनीक निर्माण विभाग पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये कनिष्ठ अभियंता
3. सार्वजनीक निर्माण विभाग पंचायत समिति जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये सहायक अभियंता

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 07.10.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:00:35 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर